Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

कुँवर सिंह आदि बनाम गंगा सहाय वगैरह

किस्त मुकदमा धारा 212 RT नं. 139/22 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
7/6/22	एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 RT Act के तहत पेश किया एवं एडवोकेट प्रार्थी को एक-पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण, प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक में बनता आता है कि अप्रार्थीगण मूल के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 28/10/22 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि आ० ख० नं० 1308 रकबा 0.17 हे० वाके ग्राम कमालपुर तह० बयाना के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। कच्चा-पक्का निर्माण नहीं करें। इस बाबत कोई कार्यवाही हो तो नियमानुसार न्यायालय द्वारा उक्त तारीख पेशी को हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो तलबाना का समापन दिनांक 28/10/22 को पेश हो। [signature]	
28/10/22	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/3/23 को पेश [signature] रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
8/2/25	ए०डी० प्रार्थी उप० [illegible] की पालना नहीं [illegible] पालना सुनिश्चित हो पत्रावली दि० 16/4/25 को पेश हो।	
16/04/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/06/25 को पेश हो।	
25/6/25	पीठासीन अधिकारी हड़ताल कार्य में है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/8/25 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एम.	
20/8/25	ए०डी० प्रार्थी उप० [illegible] पत्रावली पेश नहीं [illegible] पालना सुनिश्चित [illegible] पत्रावली दि० 19/11/25 को पेश हो।	
13/11/25	पीठासीन अधिकारी [illegible] है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/2/26 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एम.	
19/2/26	ए०डी० प्रार्थी उप०। अब तलबाने पेश करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली दिनांक 14/5/26 को पेश हो।	
14/5/26	प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण में ए०डी० प्रार्थीगण [illegible] प्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अनु0। प्रार्थी के सम्बन्ध में न्यायालय ध्वजा से बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी प्रार्थी के सम्बन्ध में बार-बार आवाज उपरान्त भी कोई उप0 नहीं। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	